संशोधित आदेश

भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश

प्रथम तल, जनपथ मार्केट, हजरतगंज, लखनऊ

संख्याः ৪१ / रेरा / शिकायत / 2017–18, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या–27 / रेरा / शिकायत / 2017–18 दिनांक 10.10.2017 द्वारा अध्यक्ष रेरा / प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा रेरा में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्राधिकरणों / बोर्डों / मण्डलों से सम्बन्धित शिकायतों को अधिनियम तथा नियमावली एवं समय–समय पर जारी कार्यकारी आदेशों के अन्तर्गत निस्तारण हेतु प्राधिकृत किया गया है। उक्त कार्यालय आदेश में कानपुर मण्डल से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु प्राधिकृत अधिकारी सम्मिलित नहीं है।

अतः उक्त आदेश दिनांक 10.10.2017 में संशोधन करते हुए मैं, मुकुल सिंहल, अध्यक्ष रेरा / प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन रेरा में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्राधिकरणों / बोर्डों / मण्डलों से सम्बन्धित शिकायतों की अधिनियम तथा नियमावली तथा समय–समय पर जारी कार्यकारी आदेशों के अन्तर्गत निस्तारण हेतु प्राधिकृत करता हूँः–

	नामित अधिकारी	प्राधिकरण / बोर्ड / मण्डल
1	अध्यक्ष, भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (R.E.R.A.)	हाउसिंग बोर्ड तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से प्राप्त समस्त शिकायतें।
2	सचिव भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (R.E.R.A.)	नोएडा / ग्रेटर नोएडा से समस्त शिकायतें तथा समस्त सक्षम प्राधिकारियों (Competent Authority) के विरूद्ध प्राप्त समस्त शिकायतें।
3	श्री राजेश कुमार पाण्डेय, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र.शासन	विकास प्राधिकरण लखनऊ तथा लखनऊ, बस्ती एवं देवीपाटन मण्डल से सम्बन्धित समस्त शिकायतें (उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद से सम्बन्धित मामलों को छोड़कर)
4	उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	सहारनपुर तथा मुरादाबाद मण्डल से प्राप्त समस्त शिकायतें।
5	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण	आगरा मण्डल से प्राप्त समस्त शिकायतें।
6	उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण	अलीगढ़ तथा मेरठ मण्डल से प्राप्त समस्त शिकायतें।
7	उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	बरेली मण्डल से प्राप्त समस्त शिकायतें।
8	उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण	इलाहाबाद, झांसी तथा चित्रकूट मण्डल से प्राप्त समस्त शिकायतें।
9	उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण	कानपुर, वाराणसी तथा फैजाबाद मण्डल से प्राप्त समस्त शिकायतें।
10	उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण	आजमगढ़, गोरखपुर तथा मिर्जापुर मण्डल से प्राप्त समस्त शिकायतें।

शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में मानक प्रकिया (SOP) पत्र संख्या–29/रेरा/शिकायत/2017–18 दिनांक 10.10.2017 के माध्यम से प्रेषित कर दी गयी है।

सभी सम्बन्धित अधिकारीगण रेरा (R.E.R.A.) द्वारा उनको प्रेषित शिकायतों का नियमानुसार निस्तारण निर्धारित समयावधि करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(मुकुल सिंहल)
अध्यक्ष रेरा/प्रमुख सचिव

<u>पत्रांक एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित सूचनार्थ।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना एक्सप्रेस–वे अथारिटी।
2. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश।
6. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।
7. विशेष सचिव (श्री राजेश कुमार पाण्डेय), आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।

(मुकुल सिंहल)
अध्यक्ष रेरा/प्रमुख सचिव